

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून।

फोन नं० 0135 2608106 फैक्स नं०-2608108

संख्या 1794 / प्रवर्तन / स०सु० / 1-8(50) / 2018
सेवा में,

दिनांक: 23 अप्रैल, 2018

1- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
यमुना कॉलोनी, देहरादून।

विषय: मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अन्य दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों का स्थल चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-881/प्रवर्तन/स०सु०/1-8(50)/2018 दिनांक 23-02-2018 एवं पत्र संख्या-1477/प्रवर्तन/स०सु०/1-8(50)/2018 दिनांक 31-03-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, सम्बन्धित पत्रों के अन्तर्गत निदेशक, यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून के पत्र दिनांक 21-02-2018 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से रुड़की मार्ग (वाया हरिद्वार) एवं देहरादून से थानों मार्ग का स्थलीय निरीक्षण के दौरान मार्ग पर पायी गयी कमियों (यथा पाट होल्स, पैचेज, रोड साइनेज, ड्राईबर्जन बोर्ड आदि) को यथाशीघ्र पूर्ण कराते हुये कृत कार्यवाही की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई थी। प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना आतिथि तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में कृत कार्यवाही की आख्या/सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, गृह/सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- यातायात निदेशक, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
- 4- रीजनल आफिसर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बलवीर रोड, देहरादून।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, नवावृत्त, लोक निर्माण विभाग यमुना कॉलोनी, देहरादून।

(सुनीता सिंह)

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।